परिशिष्ट 2

संविधान के, उन अपवादों और उपांतरणों के जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमान पाठ के प्रति निर्देश से, पुनर्कथन

[**टिप्पण** - वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है या तो वे हैं जिनका उपबंध संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 में किया गया है या वे हैं जो संविधान के कुछ संशोधनों के जम्मू-कश्मीर राज्य को न लागू होने के परिणामस्वरूप हैं । ऐसे सभी अपवाद और उपांतरण जिनका व्यावहारिक महत्व है, उस पुनर्कथन में सम्मिलित हैं जो शीघ्र निर्देश को मात्र सुकर बनाने के लिए हैं । सही स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 को और उक्त आदेश के खंड 2 में वर्णित संविधान के पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा यथा संशोधित संविधान के 20 जून, 1964 के पाठ के प्रति निर्देश करना होगा ।]

(1) उद्देशिका

(क) पहले पैरा में "समाजवादी पंथ निरपेक्ष" का लोप करें ।

(ख) पूर्वान्तिम पैरा में "और अखंडता" का लोप करें ।

(2) भाग 1

अनुच्छेद 3--

(क) निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या उस राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल की सहमति के बिना संसद् में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।" ;

(ख) स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप करें ।

(3) भाग 2

(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 1950 से लागू समझा जाएगा ;

(ख) अनुच्छेद 7 --निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् उस राज्य के क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा या उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा ।" ।

(4) भाग 3

(क) अनुच्छेद 13--संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं. आ. 48) के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं,

*　　*　　*　　*　　*

(ग) अनुच्छेद 16--खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

APPENDIX II

RE-STATEMENT, WITH REFERENCE TO THE PRESENT TEXT OF THE CONSTITUTION, OF THE EXCEPTIONS AND MODIFICATIONS SUBJECT TO WHICH THE CONSTITUTION APPLIES TO THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR

[*Note.*— The exceptions and modifications subject to which the Constitution applies to the `State of Jammu and Kashmir are either those provided in the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 or those consequential to the non-application to the State of Jammu and Kashmir of certain amendments to the Constitution. All the exceptions and modifications which have a practical significance are included in the re-statement which is only for facility of quick reference. For ascertaining the exact position, reference will have to be made to the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 and to the text of the Constitution on the 20th June, 1964, as amended by the subsequent amendments to the Constitution mentioned in clause 2 of the said Order.]

(1) THE PREAMBLE.

(a) In the first paragraph, omit "SOCIALIST SECULAR";

(b) in the penultimate paragraph, omit "and integrity".

(2) PART I.

Article 3.—

(a) Add the following further proviso, namely:—

"Provided further that no Bill providing for increasing or diminishing the area of the State of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that State shall be introduced in Parliament without the consent of the Legislature of that State.";

(b) omit *Explanation* I and *Explanation* II.

(3) PART II.

(a) This Part shall be deemed to have been applicable in relation to the State of Jammu and Kashmir as from the 26th day of January, 1950.

(b) Article 7.— Add the following further proviso, namely:—

"Provided further that nothing in this article shall apply to a permanent resident of the State of Jammu and Kashmir who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, returns to that territory of that State under a permit for resettlement in that State or permanent return issued by or under the authority of any law made by the Legislature of that State, and every such person shall be deemed to be a citizen of India.".

(4) PART III.

(a) Article 13.—References to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 (C.O. 48), *i.e.*, the 14th day of May, 1954.

*   *   *   *   *

(c) Article 16.— In clause (3), reference to the State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir.

(घ) अनुच्छेद 19 -

(अ) खंड (1) में--

(i) उपखंड (ङ) के अंत में, "और" का लोप करें ;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, अर्थात् :--

"(च) संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का ; और ";

(आ) खंड (5) में, "उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)" के स्थान पर "उपखंड (घ), उपखंड (ङ) और उपखंड (च)" रखें ।

(ङ) अनुच्छेद 22--खंड (4) में "संसद्" शब्द के स्थान पर "राज्य विधान-मंडल" शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में "संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर "राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(च) अनुच्छेद 30 --खंड (1क) का लोप करें ।

(छ) अनुच्छेद 30 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात् :--

" संपत्ति का अधिकार

31. संपत्ति का अनिवार्य अर्जन--(1) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई संपत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही और केवल ऐसी विधि के प्राधिकार से अनिवार्यतः अर्जित या अधिगृहीत की जाएगी, अन्यथा नहीं, जो संपत्ति के अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए और ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हों, उपबंध करती है; और ऐसी किसी विधि किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जा कर अन्यथा दिया जाना है :

परन्तु अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा-संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने से संबद्ध विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या अवधारित की जाए वह ऐसी हो जो उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार को निर्बन्धित या निराकृत न करे ।

(2क) जहां विधि किसी संपत्ति के स्वामित्व का या कब्जा रखने के अधिकार का अंतरण राज्य या किसी ऐसे निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन है, करने के लिए उपबंध नहीं करती है वहां, इस बात के होते हुए भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करती है, उसकी बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है ।

(2ख) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (च) की कोई बात किसी ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जो खंड (2) में निर्दिष्ट है ।

* * * * *

(5) खंड (2) की कोई बात --

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्—

(i) किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए, अथवा

(d) Article 19.—

(A) In clause (1),—

(i) in sub-clause (*e*), omit "and" at the end;

(ii) after sub-clause (*e*), insert the following clause, namely:—

"*(f)* to acquire, hold and dispose of property; and";

(B) in clause (5), for "sub-clauses (d) and (e)", substitute "sub-clauses (d), (e) and (f)".

(e) Article 22.— In clauses (4) and (7), for "Parliament", substitute "the Legislature of the State".

(f) Article 30.—Omit clause (1A).

(g) After article 30, insert the following, namely:—

"Right to Property

31. *Compulsory acquisition of property.*—(1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for acquisition or requisitioning of the property for an amount which may be fixed by such law or which may be determined in accordance with such principles and given in such manner as may be specified in such law; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the amount so fixed or determined is not adequate or that the whole or any part of such amount is to be given otherwise than in cash:

Provided that in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1) of article 30, the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.

(2A) Where a law does not provide for the transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a Corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition or requisitioning of property, notwithstanding that it deprives any person of his property.

(2B) Nothing in sub-clause (f) of clause (1) of article 19 shall affect any such law as is referred to in clause (2).

*   *   *   *   *

(5) Nothing in clause 2 shall affect—

(a) the provisions of any existing law; or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make—

(i) for the purpose of imposing or levying any tax or penalty; or

(ii) लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के संकट-निवारण के लिए, अथवा

(iii) ऐसी संपत्ति की बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई है,

बनाए, कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।"।

*   *   *   *   *

(ज) अनुच्छेद 31 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष का लोप करें, अर्थात् :--

"कुछ विधियों की व्यावृत्ति" ।

(झ) अनुच्छेद 31क--

(अ) खंड (1) में--

(i) "अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19" के स्थान पर " अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31" रखें ;

(ii) खंड (1) के पहले परन्तुक का लोप करें ;

(iii) दूसरे परन्तुक में "यह और कि" के स्थान पर "यह कि" रखें ।

(आ) खंड (2) में उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखें, अर्थात् :--

(क) "संपदा" से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(i) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं ;

(ii) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष ;

(iii) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि ;

(iv) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत ;

(v) जंदर और घराट स्थल ;

(vi) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य अनुदान,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :-

(i) किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल या किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि ;

(ii) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में है, या

(iii) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगरक्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कीम मंजूर की गई है, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि ।' ।

(ञ) अनुच्छेद 31ग--यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(ट) अनुच्छेद 32--खंड (3) का लोप करें ।

(ठ) अनुच्छेद 35--

(ii) for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property; or

(iii) with respect to property declared by law to be evacuee property.".

*   *   *   *   *

(h) After article 31, omit the following sub-heading, namely:—

"Saving of Certain Laws"

(i) Article 31A.—

(A) In clause (1),—

(i) for "article 14 or article 19", substitute "article 14, article 19 or article 31";

(ii) omit the first proviso to clause (1);

(iii) in the second proviso omit "further";

(B) in clause (2), for sub-clause (*a*), substitute the following sub-clause, namely:—

'*(a)* "estate" shall mean land which is occupied or has been let for agricultural purposes or for purposes subservient to agriculture, or for pasture, and includes—

(i) sites of buildings and other structures on such land;

(ii) trees standing on such land;

(iii) forest land and wooded waste;

(iv) area covered by or fields floating over water;

(v) sites of *jandars* and *gharats;*

(vi) any *jagir, inam, muafi* or *mukarrari* or other similar grant,

but does not include—

(i) the site of any building in any town, or town area or village *abadi* or any land appurtenant to any such building or site;

(ii) any land which is occupied as the site of a town or village; or

(iii) any land reserved for building purposes in a municipality or notified area or cantonment or town area or any area for which a town planning scheme is sanctioned;'.

(j) Article 31C.— This article is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(k) Article 32.— Omit clause (3).

(l) Article 35.—

(अ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं.आ. 48) के प्रारंभ अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं ;

(आ) खंड (क) (i) में, "अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3) का लोप करें ; और

(इ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात् :--

"(ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत हैं, किन्तु ऐसी कोई विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से पच्चीस वर्ष के अवसान पर, ऐसी असंगति की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें उनके अवसान के पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है ।" ।

(ड) अनुच्छेद 35 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ें, अर्थात् :--

"**35क. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की व्यावृत्ति**--इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात् राज्य के विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि—

(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या

(ख) जो--

(i) राज्य सरकार के अधीन नियोजन ;

(ii) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन ;

(iii) राज्य में बस जाने ; या

(iv) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार,

की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित करती है, इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है ।" ।

(5) **भाग 4** --यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(6) **भाग 4क** --यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(7) **भाग 5**--

(क) अनुच्छेद 55--

(अ) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या तिरसठ लाख समझी जाएगी ;

(आ) स्पष्टीकरण में परन्तुक का लोप करें ।

(ख) अनुच्छेद 81--खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात् :-

(A) References to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 (C.O. 48), *i.e.*, the 14th day of May, 1954;

(B) in clause (a) (i), omit "clause (3) of article 16, clause (3) of article 32";

(C) after clause ( ), add the following clause, namely:—

"*(c)* no law with respect to preventive detention made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir, whether before or after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, shall be void on the ground that it is inconsistent with any of the provisions of this Part, but any such law shall, to the extent of such inconsistency, cease to have effect on the expiration of twenty-five years from the commencement of the said Order, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof.".

(m) After article 35, add the following article, namely:—

"35A. *Saving of laws with respect to permanent residents and their rights.*—Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State,—

(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or

(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—

(i) employment under the State Government;

(ii) acquisition of immovable property in the State;

(iii) settlement in the State; or

(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,

shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this Part.".

(5) PART IV.—This part is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(6) PART IVA.—This part is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(7) PART V.—

(*a*) *Article* 55.—

(A) For the purposes of this article, the population of the State of Jammu and Kashmir shall be deemed to be sixty-three lakhs;

(B) in the *Explanation* omit the proviso.

(b) Article 81.—For clauses (2) and (3), substitute the following clauses, namely:—

"(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,--

(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे ;

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा ;

(ग) निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा ;

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा ।

(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का विघटन न हो जाए ।

(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्तव्यों में अपनी सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, लोक सभा के सदस्य होंगे ।

(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे ।

(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उपखंड (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र भरा जाएगा ।" ।

(ग) अनुच्छेद 82--दूसरे और तीसरे परन्तुक का लोप करें ।

(घ) अनुच्छेद 105--खंड (3) में "वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं" के स्थान पर "वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडेम की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की और उसके सदस्यों और समितियों की थी" रखें । " ।

(ङ) अनुच्छेद 132 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात् :—

'132. **कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता** -- (1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

"(2) For the purposes of sub-clause (*a*) of clause (1),—

(a) there shall be allotted to the State six seats in the House of the People;

(b) the State shall be divided into single-member territorial constituencies by the Delimitation Commission constituted under the Delimitation Act, 1972, in accordance with such procedure as the Commission may deem fit;

(c) the constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience; and

(d) the constituencies into which the State is divided shall not comprise the area under the occupation of Pakistan.

(3) Nothing in clause (2) shall affect the representation of the State in the House of the People until the dissolution of the House existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the Delimitation Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies under the Delimitation Act, 1972.

(4) (*a*) The Delimitation Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of the State, five persons who shall be members of the House of the People representing the State.

(*b*) The persons to be so associated from the State shall be nominated by the Speaker of the House of the People having due regard to the composition of the House.

(*c*) The first nominations to be made under sub-clause (b) shall be made by the Speaker of the House of the People within two months from the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974.

(d) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Delimitation Commission.

(*e*) If owing to death or resignation, the office of an associate member falls vacant, it shall be filled as soon as may be practicable by the Speaker of the House of the People and in accordance with the provisions of sub-clauses (*a*) and (*b*).".

(c) Article 82.— Omit the second and third provisos.

(d) Article 105.— In clause (3), for "shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978" substitute "shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution".

(e) For article 132, substitute the following article, namely:—

'132. *Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases.*—(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution.

(2) जहां उच्च न्यायालय ने ऐसे प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है तो, वह ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा ।

(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र या ऐसी इजाजत दे दी गई है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "अंतिम आदेश" पद के अतंर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा ।' ।

(च) अनुच्छेद 133--

(अ) खंड (1) में "अनुच्छेद 134क के अधीन" का लोप करें ।

(आ) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, अर्थात् :—

'(1क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे कि उसमें " इस अधिनियम", "इस अधिनियम के प्रारंभ", "यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो" और "इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस खंड के उपबंधों को" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः "संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974", "उक्त आदेश के प्रारंभ", " उक्त आदेश पारित नहीं किया गया हो" और "उक्त उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के पश्चात् हो" प्रति निर्देश है । '।

(छ) अनुच्छेद 134--

(अ) खंड (1) के उपखंड (ग) में "अनुच्छेद 134क के अधीन" का लोप करें ;

(आ) खंड (2) में "संसद" के पश्चात् "राज्य के विधान-मंडल के अनुरोध पर" अंतःस्थापित करें ।

(ज) अनुच्छेद 134क, 135, 139 और 139क --ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं हैं ।

(झ) अनुच्छेद 145--खंड (1) में उपखंड (गग) का लोप करें ।

(ञ) अनुच्छेद 150--"जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, विहित करे" के स्थान पर "जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे" रखें ।

(8) भाग 6

(क) अनुच्छेद 153 से 217 तक, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 233, अनुच्छेद 233क और अनुच्छेद 234 से 237 तक का लोप करें ।

(ख) अनुच्छेद 220--संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1960 के प्रारंभ, अर्थात् 26 जनवरी, 1960 के प्रति निर्देश हैं ।

(ग) अनुच्छेद 222--खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-

"(1क) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से या उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् किया जाएगा । " ।

(2) Where the High Court has refused to give such a certificate, the Supreme Court may, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution, grant special leave to appeal from such judgment, decree or final order.

(3) Where such a certificate is given, or such leave is granted, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided and, with the leave of the Supreme Court, on any other ground.

Explanation.—For the purposes of this article, the expression "final order" includes an order deciding an issue which, if decided in favour of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case.'.

(f) Article 133.—

(A) In clause (1), omit "under article 134A";

(B) after clause (1), insert the following clause, namely:—

'(1A) The provisions of section 3 of the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir subject to the modification that references therein to "this Act", "the commencement of this Act", "this Act had not been passed" and "as amended by this Act" shall be construed respectively as references to "the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974", "the commencement of the said Order", "the said Order had not been made" and "as it stands after the commencement of the said Order".'.

(g) Article 134.—

(A) In clause (1), in sub-clause *(c)*, omit "under article 134A";

(B) in clause (2), after "Parliament may" insert "on the request of the Legislature of the State".

(h) Articles 134A, 135, 139 and 139A.— These articles are not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(i) Article 145.— In clause (1), omit sub-clause (*cc*).

(j) Article 150.— For "as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe" substitute "as the Comptroller and Auditor-General of India may, with the approval of the President prescribe".

(8) PART VI.

(*a*) Omit articles 153 to 217, article 219, article 221, articles 223, 224, 224A and 225, articles 227 to 233, article 233A and articles 234 to 237.

(b) Article 220.— References to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1960, i.e., the 26th January, 1960.

(c) Article 222.— After clause (1), insert the following clause, namely:—

"(1A) Every such transfer from the High Court of Jammu and Kashmir or to that High Court shall be made after consultation with the Governor.".

(घ) अनुच्छेद 226--

(अ) खंड (2) को खंड (1क) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें ;

(आ) खंड (3) का लोप करें ;

(इ) खंड (4) को खंड (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (2) में "इस अनुच्छेद" के स्थान पर "खंड (1) या खंड (1क)" रखें ।

(9) भाग 8--यह भाग जम्मू-कश्मीर को लागू नहीं है ।

(10) भाग 10--यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(11) भाग 11--

(क) अनुच्छेद 246--

(अ) खंड (1) में, "खंड (2) और खंड (3)" के स्थान पर "खंड (2)" रखें ।

(आ) खंड (2) में, "खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी" का लोप करें ।

(इ) खंड (3) और खंड (4) का लोप करें ।

(ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात् :--

"**248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां**--संसद् को--

(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों को रोकने के संबंध में ;

(कक) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विछिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले अन्य क्रियाकलाप को रोकने के संबंध में, और

(ख) (i) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर ;

(ii) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर ;

(iii) मनीआर्डर, फोनतार, और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं पर,

कर लगाने के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, "आतंकवादी कार्य" से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपयाकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत हैं ।" ।

(खख) अनुच्छेद 249, खंड (1) में, "राज्य-सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर "उस संकल्प में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ-सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित विषय नहीं हैं," रखें ।

(ग) अनुच्छेद 250 "राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में" के स्थान पर "संघ सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी" रखें ।

(घ) खंड (घ) का लोप करें ।

(d) Article 226.—

(A) Renumber clause (2) as clause (1A);

(B) omit clause (3);

(C) renumber clause (4) as clause (2); and in clause (2) as so renumbered, for "this article" substitute "clause (1) or clause (1A)".

(9) PART VIII.— This part is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(10) PART X.— This part is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(11) PART XI.

(a) Article 246.—

(A) in clause (1), for "clauses (2) and (3)" substitute "clause (2)";

(B) in clause (2), omit "Notwithstanding anything in clause (3),";

(C) omit clauses (3) and (4).

(b) For article 248, substitute the following article, namely:—

'248. *Residuary powers of legislation.*—Parliament has exclusive power to make any law with respect to—

(a) prevention of activities involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting the harmony amongst different sections of the people;

(aa) prevention of other activities directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National Flag, the Indian National Anthem and this Constitution; and

(b) taxes on—

(i) foreign travel by sea or air;

(ii) inland air travel;

(iii) postal articles, including money orders, phonograms and telegrams.

Explanation.— In this article, "terrorist act" means any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or any other substances (whether biological or otherwise) of a hazardous nature.'.

(bb) Article 249, in clause (1), for "any matter enumerated in the State List specified in the resolution", substitute "any matter specified in the resolution, being a matter which is not enumerated in the Union List or in the Concurrent List".

(c) Article 250.— For "to any of the matters enumerated in the State List" substitute "also to matters not enumerated in the Union List".

(d) Omit clause (d).

(ङ) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ें, अर्थात् :--

"परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पश्चात्, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जाएगा।"।

(च) अनुच्छेद 255 का लोप करें।

(छ) अनुच्छेद 256 को उसके खंड (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोडें, अर्थात :--

"(2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशिष्टतया उक्त राज्य, यदि संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय पर संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य की हो तो ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।"।

(ज) अनुच्छेद 261--खंड (2) में "संसद् द्वारा बनाई गई" का लोप करें।

(12) भाग 12

(क) अनुच्छेद 266, 282, 284, 298 और 300--इन अनुच्छेदों में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(ख) अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के खंड (2) और अनुच्छेद 290 का लोप करें।

(ग) अनुच्छेद 277 और 295--इन अनुच्छेदों में संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं।

(घ) उपशीर्ष "अध्याय 4--संपत्ति का अधिकार" और अनुच्छेद 300क का लोप करें।

(13) भाग 13--अनुच्छेद 303 के खंड (1) में, "सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर" का लोप करें।

(14) भाग 14--अनुच्छेद 312 के सिवाय इस भाग में, "राज्य" के प्रति निर्देश के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।

(15) भाग 14क--यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होता है।

(16) भाग 15--अनुच्छेद 324--

(क) खंड (1) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश है।

(ख) अनुच्छेद 325, 326 और 327--इन अनुच्छेदों में राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(ग) अनुच्छेद 328 का लोप करें।

(घ) अनुच्छेद 329--

(अ) राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है ;

(e) Article 253.— Add the following proviso, namely:—

"Provided that after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, no decision affecting the disposition of the State of Jammu and Kashmir shall be made by the Government of India without the consent of the Government of that State.".

(f) Omit *article* 255.

(g) Article 256.—Renumber this article as clause (1) thereof, and add the following new clause thereto, namely:—

"(2) The State of Jammu and Kashmir shall so exercise its executive power as to facilitate the discharge by the Union of its duties and responsibilities under the Constitution in relation to that State; and in particular, the said State shall, if so required by the Union, acquire or requisition property on behalf and at the expense of the Union, or if the property belongs to the State, transfer it to the Union on such terms as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India.".

(h) Article 261.—In clause (2), omit "made by Parliament".

(12) PART XII.

(a) Articles 266, 282, 284, 298, 299 and 300. —In these articles references to the State or States shall be construed as not including references to the State of Jammu and Kashmir;

(b) omit clause (2) of article 267, article 273, clause (2) of article 283 and article 290;

(c) Articles 277 and 295.—In these articles references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, *i.e.*, the 14th day of May, 1954.

(d) Omit the sub-heading "CHAPTER IV.— RIGHT TO PROPERTY" and article 300A.

(13) PART XIII.

In article 303, in clause (1), omit "by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule".

(14) PART XIV.

Except in article 312, reference to "State" in this Part does not include the State of Jammu and Kashmir.

(15) PART XIVA.

This Part is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(16) PART XV.—

(a) Article 324.— In clause (1), the reference to the Constitution shall, in relation to elections to either House of the Legislature of Jammu and Kashmir, be construed as a reference to the Constitution of Jammu and Kashmir.

(b) Articles 325, 326 and 327.— In these articles the references to a State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir.

(c) Omit article 328.

(d) Article 329.—

(A) Reference to a State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir;

(आ) "या अनुच्छेद 328" का लोप करें ।

(17) भाग 16

मूल खंड (क) का लोप किया गया और खंड (ख) और खंड (ग) को, खंड (क) और खंड(ख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

(क) अनुच्छेद 331, 332, 333, 336 और 337 का लोप करें ।

(ख) अनुच्छेद 334 और 335--राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है ।

(ग) अनुच्छेद 339 खंड (1) में "राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों के स्थान पर " राज्यों की अनुसूचित जनजातियों" शब्द रखें ।

(18) भाग 17

इस भाग के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक वे--

(i) संघ की राजभाषा,

(ii) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ के बीज पत्रादि की राजभाषा, और

(iii) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा से संबंधित हैं ।

(19) भाग 18

(क) अनुच्छेद 352 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात् :—

"352. आपात की उद्‌घोषणा--(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्‌घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा ।

(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्‌घोषणा--

(क) पश्चात्‌वर्ती उद्‌घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ;

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्‌घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्‌घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है किन्तु ऐसी उद्‌घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्‌घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्‌घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है ।

(3) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति का संकट सन्निकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्‌घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अशांति के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसा कोई आक्रमण या अशांति के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी ।

(B) omit “or article 328”.

(17) PART XVI. —

Original clause (*a*) omitted and clauses (*b*) and (*c*) relettered as clauses (*a*) and (*b*).

(a) Omit articles 331, 332, 333, 336 and 337.

(b) Articles 334 and 335.—References to the State or the States shall be construed as not including references to the State of Jammu and Kashmir.

(c) Article 339, in clause (1), omit “the administration of the Scheduled Areas and”.

(18) PART XVII. — The provisions of this Part shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as they relate to—

(i) The official language of the Union;

(ii) the official language for communication between one State and another, or between a State and the Union; and

(iii) The language of the proceedings in the Supreme Court.

(19) PART XVIII.

(a) For article 352, substitute the following article, namely :—

“352. *Proclamation of Emergency.*—(1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect.

(2) A proclamation issued under clause (1)—

(a) may be revoked by a subsequent Proclamation;

(b) shall be laid before each House of Parliament;

(c) shall cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

Provided that if any such Proclamation is issued at a time when the House of the People has been dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in sub-clause (*c*), and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the people.

(3) A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or of any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by internal disturbance may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or disturbance if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.

(4) इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति अथवा युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के सन्निकट संकट के भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न घोषणाएं करने की शक्ति होगी चाहे खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पहले से की गई उद्घोषणा हो या न हो और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में हो या नहीं ।

(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) खंड (1) और खंड (3) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और उसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतम न्यायालय को न किसी अन्य न्यायालय को--

(i) राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा द्वारा खंड (1) में वर्णित आशय की घोषणा ; या

(ii) ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त बने रहने,

की विधिमान्यता के बारे में किसी भी आधार पर कोई प्रश्न ग्रहण करने की अधिकारिता होगी ।

(6) केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 की बाबत के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी लागू होगी जब वह--

(क) उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से की गई है ; या

(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं की गई है वहां वह उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू की गई है ।'' ।

(ख) अनुच्छेद 353--परन्तुक का लोप करें ।

(ग) अनुच्छेद 356--

(अ) खंड (1) में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अतंर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश है ;

(आ) खंड (4) में :--

(i) प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात्:--

''इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रहेगी ।'' ;

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 18 जुलाई, 1990 को खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले परन्तुक में ''तीन वर्ष'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''छह वर्ष'' के प्रति निर्देश है ।' ।

(इ) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात् :--

''(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, खंड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । '' ।

(4) The power conferred on the President by this article shall include the power to issue different Proclamations on different grounds, being war or external aggression or internal disturbance or imminent danger of war or external aggression or internal disturbance, whether or not there is a Proclamation already issued by the President under clause (1) and such Proclamation is in operation.

(5) Notwithstanding anything in the Constitution,—

(a) the satisfaction of the President mentioned in clause (1) and clause (3) shall be final and conclusive and shall not be questioned in any court on any ground;

(b) subject to the provisions of clause (2), neither the Supreme Court nor any other Court shall have jurisdiction to entertain any question, on any ground, regarding the validity of —

(i) a declaration made by Proclamation by the President to the effect stated in clause (1); or

(ii) the continued operation of such Proclamation.

(6) No Proclamation of Emergency made on grounds only of internal disturbance or imminent danger thereof shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir (except as respects article 354) unless—

(a) it is made at the request or with the concurrence of the Government of that State; or

(b) where it has not been so made, it is applied subsequently by the President to that State at the request or with the concurrence of the Government of that State.".

(b) Article 353.— Omit the proviso.

(c) Article 356.—

(A) In clause (1), reference to provisions or provisions of this Constitution shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as including references to provisions or provision of the Constitution of Jammu and Kashmir;

(B) in clause (4),—

(*i*) for the opening portion, substitute the following, namely:—

"A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (3)";

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 18th day of July, 1990 with respect to the State of Jammu and Kashmir, the reference in the fist proviso to this clause to "three years" shall be construed as a reference to "seven years.'.

(*C*) for clause (5), substitute the following clause, namely :—

"(5) Notwithstanding anything in this Constitution, the satisfaction of the President mentioned in clause (1) shall be final and conclusive and shall not be questioned in any court on any ground.".

(घ) अनुच्छेद 357--खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात् :--

"(2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद् अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, अक्षमता की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय जिन्हें उक्त अवधि के अवसान के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी यदि वे उपबंध जो प्रभावहीन हो जाएंगे, सक्षम विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा पहले ही निरसित या उपांतरणों के सहित या उनके बिना पुनः अधिनियमित नहीं कर दिए जाते हैं ।" ।

(ङ) अनुच्छेद 358 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात् :--

"358. **आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन**--जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं करेगी किन्तु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।" ।

(च) अनुच्छेद 359--

(अ) खंड (1) में "(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर)" का लोप करें ;

(आ) खंड (1क) में,--

(i) "(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर)" का लोप करें ;

(ii) परन्तुक का लोप करें ;

(इ) खंड (1ख) का लोप करें ;

(ई) खंड (2) में परन्तुक का लोप करें ।

(छ) अनुच्छेद 360 का लोप करें ।

(20) भाग 19

(क) अनुच्छेद 361क--यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(ख) अनुच्छेद 365 का लोप करें ।

(ग) अनुच्छेद 367--खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात् :--

"(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है, प्रयोजनों के लिए --

(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं ;

(कक) राज्य की विधान-सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यताप्राप्त तथा तत्समय पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं :

(*d*) *Article* 357.— For clause (2), substitute the following clause, namely :—

"(2) Any law made in exercise of the power of the Legislature of the State by Parliament or the President or other authority referred to in sub-clause (*a*) of clause (1) which Parliament or the President or such other authority would not, but for the issue of a Proclamation under article 356, have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of one year after the Proclamation has ceased to operate except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period, unless the provisions which shall so cease to have effect are sooner repealed or re-enacted with or without modification by Act of the appropriate Legislature.".

(e) For article 358, substitute the following article, namely :—

"358. *Suspension of provisions of article 19 during emergencies.*— While a Proclamation of Emergency is in operation, nothing in article 19 shall restrict the power of the State as defined in Part III to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as the Proclamation ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect.".

(f) Article 359, —

(A) in clause (1) omit "(except articles 20 and 21)";

(B) in clause (1A),—

(i) omit "(except articles 20 and 21)";

(ii) omit the proviso;

(C) omit clause (1B);

(D) in clause (2), omit the proviso.

(g) omit article 360.

(20) PART XIX.

(a) Article 361A.— This article is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(b) Omit article 365.

(c) Article 367.— After clause (3), add the following clause, namely :—

"(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir —

(a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;

(aa) references to the person for the time being recognised by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office, shall be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir;

(ख) उक्त राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश है ;

(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं ;

(घ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त विधियों के अधीन राज्य की प्रजा के रूप में, संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यताप्राप्त थी या जिन्हें राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यताप्राप्त हैं ; और

(ङ) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यताप्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी है ।" ।

(21) भाग 20

अनुच्छेद 368--

(क) खंड (3) में निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया हो ।" ।

(ख) खंड (4) और खंड (5) का लोप करें, और खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात् :--

"(4) जम्मू-कश्मीर के संविधान के--

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों, या

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद् के गठन, जो जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 138, 139, 140 और 150 में विनिर्दिष्ट विषय हैं,

से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के पश्चात्, उसकी अनुमति प्राप्त कर लेती है ।" ।

(22) भाग 21

(क) अनुच्छेद 369, 371, 371क, 372क, 373 और अनुच्छेद 376 से 378क तक का और अनुच्छेद 392 का लोप करें ।

(ख) अनुच्छेद 372 में,—

(b) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of his Council of Ministers:

Provided that in respect of any period prior to the 10th day of April, 1965, such references shall be construed as including references to the Sadar-i-Riyasat acting on the advice of his Council of Ministers;

(c) references to a High Court shall include references to the High Court of Jammu and Kashmir;

(d) references to the permanent residents of the said State shall be construed as meaning persons who, before the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, were recognised as State subjects under the laws in force in the State or who are recognised by any law made by the Legislature of the State as permanent residents of the State; and

(e) references to a Governor shall include references to the Governor of Jammu and Kashmir :

Provided that in respect of any period prior to the 10th day of April, 1965, such references shall be construed as references to the person recognised by the President as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir and as including references to any person recognised by the President as being competent to exercise the powers of the Sadar-I-Riyasat.

(21) PART XX.

Article 368.—

(a) in clause (2), add the following further proviso, namely:—

"Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370.";

(b) omit clauses (4) and (5) and after clause (3) add the following clause, namely :—

"(4) No law made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir seeking to make any change in or in the effect of any provision of the Constitution of Jammu and Kashmir relating to:—

(a) appointment, powers, functions, duties, emoluments, allowances, privileges or immunities of the Governor; or

(b) superintendence, direction and control of elections by the Election Commission of India, eligibility for inclusion in the electoral rolls without discrimination, adult suffrage and composition of the Legislative Council, being matters specified in sections 138, 139, 140 and 50 of the Constitution of Jammu and Kashmir,

shall have any effect unless such law has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent.".

(22) PART XXI.—

(a) Omit articles 369, 371, 371A, 372A, 373 and articles 376 to 378A and 392.

(b) Article 372.—

(अ) खंड (2) और (3) का लोप करें ;

(आ) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाश्तों, राज्य परिषद् के संकल्पों, संविधान सभा में संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश होंगे ;

(इ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं0आ048) के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं ।

(ग) अनुच्छेद 374--

(अ) खंड (1), (2), (3) और (5) का लोप करें ;

(आ) खंड (4) में, राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर संविधान अधिनियम संवत्, 1996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश हैं ; और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ, अर्थात् 14 मई, 1954 के प्रति निर्देश हैं ।

(23) भाग 22--अनुच्छेद 394 तथा 395 का लोप करें ।

(24) तीसरी अनुसूची--प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप करें ।

(25) पांचवीं अनुसूची--यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(26) छठी अनुसूची--यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है ।

(27) सातवीं अनुसूची--

(क) सूची 1--संघ सूची--

(अ) प्रविष्टि 2क का लोप करें ;

(आ) प्रविष्टि 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :—

"3. छावनियों का प्रशासन ।";

(इ) प्रविष्टि 8, 9, 34 और 79 का लोप करें ;

(ई) प्रविष्टि 72 में,--

(i) किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन प्रश्नगत है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश है ;

(ii) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं है ;

(उ) प्रविष्टि 81 में "अंतरराज्यिक प्रव्रजन" का लोप करें ;

(ऊ) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :—

'97.(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले ;

(A) Omit clauses (2) and (3) ;

(B) references to the laws in force in the territory of India shall include references to *hidayats, ailans, ishtihars,* circulars, *robkars, irshads, yadashts,* State Council Resolutions, Resolutions of the Constituent Assembly, and other instruments having the force of law in the territory of the State of Jammu and Kashmir;

(C) references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 (C.O.48), *i.e*., the 14th day of May, 1954.

(c) Article 374. —

(A) Omit clauses (1), (2), (3) and (5);

(B) in clause (4), the reference to the authority functioning as the Privy Council of a State shall be construed as a reference to the Advisory Board constituted under the Jammu and Kashmir Constitution Act, Svt. 1996, and references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, *i.e*., the 14th day of May, 1954.

(23) PART XXII.—Omit articles 394 and 395.

(24) THIRD SCHEDULE.—Omit forms V,VI,VII and VIII.

(25) FIFTH SCHEDULE.—This Schedule is not applicable to the State of Jammu and Kashmir,

(26) SIXTH SCHEDULE.—This Schedule is not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

(27) SEVENTH SCHEDULE.—

(a) List I —Union List:—

(A) Omit entry 2A;

(B) for entry 3, substitute the following entry, namely :—

"3. Administration of cantonments.":

(C) omit entries 8, 9, 34 and 79;

(D) in entry 72, the reference to the States shall be construed.—

(i) in relation to appeals to the Supreme Court from any decision or order of the High Court of the State of Jammu and Kashmir made in an election petition whereby an election to either House of the Legislature of that State has been called in question, as including a reference to the State of Jammu and Kashmir;

(ii) in relation to other matters, as not including a reference to that State;

(E) in entry 81, omit "Inter-State migration";

(F) for entry 97, substitute the following entry, namely :—

'97. Prevention of activities—

(a) involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting the harmony amongst different sections of the people;

(ख) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विछिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले,

क्रियाकलाप को रोकना,

समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतरदेशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर, जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर ।

स्पष्टीकरण--इस प्रविष्टि में, ‘‘आतंकवादी कार्य’’ का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है ।’ ।

(ख) सूची 2--राज्य सूची का लोप करें ।

(ग) सूची 3--समवर्ती सूची--

(अ) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

‘‘1. दंड विधि (जिसके अंतर्गत सूची 1 के विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौ-सेना, वायुसेना या संघ के किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों के प्रयोग नहीं हैं,) जहां तक ऐसी दंड विधि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है ।

(आ) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

‘‘2. दंड प्रक्रिया, (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों का, जिनके अतंर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं है, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध--

(i) किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है, संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों से है, और

(ii) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है ’’;

(इ) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से 10 तक, (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं,) प्रविष्टि 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 तथा 44 का लोप करें ;

(ई) प्रविष्टि 11क, 17क,17ख, 20क और 33क जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं हैं ;

(उ) प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

‘‘12. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध--

(i) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से हैं ; और

(ii) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से हैं, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है । ’’ ।

(ऊ) प्रविष्टि 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

‘‘13. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने से तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है ।’’ ;

(ए) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

(b) directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National flag, the Indian National Anthem and this Constitution;

taxes on foreign travel by sea or air, on inland air travel and on postal articles, including money orders, phonograms and telegrams.

Explanation.— In this entry, "terrorist act" has the same meaning as in the *Explanation* to article 248.'.

(b) Omit List II—State List.

(*c*) List III— Concurrent List.—

(A) For entry 1, substitute the following entry, namely :—

"1. Criminal law (excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power) in so far as such criminal law relates to offences against laws with respect to any of the matters specified in this List.";

(*B*) for entry 2, substitute the following entry, namely:—

"2. Criminal procedure (including prevention of offences and constitution and organisation of criminal courts, except the Supreme Court and the High Court) in so far as it relates to,—

(i) offences against laws with respect to any matters being matters with respect to which Parliament has power to make laws; and

(ii) administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country.";

(C) omit entry 3, entries 5 to 10 (both inclusive), entries 14, 15, 17, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 and 44;

(D) entries 11A, 17A, 17B, 20A and 33A are not applicable to the State of Jammu and Kashmir;

(E) for entry 12, substitute the following entry, namely :—

"12. Evidence and oaths in so far as they relate to,—

(i) administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country; and

(ii) any other matter being matters with respect to which Parliament has power to make laws.";

(F) for entry 13, substitute the following entry, namely :—

"13. Civil procedure in so far as it relates to administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country.";

(G) for entry 25, substitute the following entry, namely :—

" 25. श्रमिकों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण " ;

(ऐ) प्रविष्टि 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

"30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है ।" ;

(ओ) प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात् :--

"42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उसका संबंध सूची 1 की प्रविष्टि 67 या सूची 3 की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है ।" ;

(औ) प्रविष्टि 45 में, " सूची 2 या सूची 3" के स्थान पर " इस सूची" शब्द रखें ।

(28) नौवीं अनुसूची—

(क) प्रविष्टि 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ें, अर्थात् :--

"64क. जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत् 1978 का सं0 1) ।

64ख. जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत् 1980 का सं0 2) ।

64ग. जम्मू-कश्मीर भूमि अन्यसंक्रामण अधिनियम (संवत् 1995 का सं0 5) ।

64घ. जम्मू-कश्मीर बृहद् भू-संपदा उत्सादन अधिनियम (संवत् 2007 का सं0 17)।

64ङ. जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण के बारे में 1951 का आदेश सं0 6-एच, तारीख 10 मार्च, 1951 ।

64च. जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति की वापसी अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 14) ।

64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 15) ";

(ख) प्रविष्टि 65 से 86 तक जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती हैं ;

(ग) प्रविष्टि 86 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात् :--

"87. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43), लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 58), निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 40) । " ;

(घ) प्रविष्टि 91 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात् :--

"92. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 26) । " ;

(ङ) प्रविष्टि 129 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात् :--

"130. आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 27) । " ;

(च) ऊपर उपदर्शित रूप में, प्रविष्टि 87, प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 130 के अंतःस्थापन के पश्चात् प्रविष्टि 87 से प्रविष्टि 188 तक को क्रमशः प्रविष्टि 65 से प्रविष्टि 166 के रूप में पुनःसंख्यांकित करें ।

29. दसवीं अनुसूची—

(क) "[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "[अनुच्छेद 102(2)]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

"25. Vocational and technical training of labour.";

(H) for entry 30, substitute the following entry, namely:—

"30. Vital statistics in so far as they relate to births and deaths including registration of births and deaths.";

(I) for entry 42, substitute the following entry, namely:—

"42 Acquisition and requisitioning of property, so far as regards acquisition of any property covered by entry 67 of List I or entry 40 of List III or of any human work of art which has artistic or aesthetic value.";

(J) in entry 45, for "List II or List III" substitute "this List".

(28) NINTH SCHEDULE.—

(a) After entry 64, add the following entries, namely :—

"64A. The Jammu and Kashmir State Kuth Act (No. 1 of Svt.1978).

64B. The Jammu and Kashmir Tenancy Act (No. II of Svt. 1980).

64C. The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act (No. V of Svt. 1995). 64D. The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act (No. XVII of Svt. 2007).

64E. Order No. 6-H of 1951, dated the 10th March, 1951, regarding Resumption of Jagirs and other assignments of land revenue, etc.

64F. The Jammu and Kashmir Restitution of Mortgaged Properties Act, 1976 (Act XIV of 1976).

64G. The Jammu and Kashmir Debtors' Relief Act, 1976 (Act XV of 1976).".

(b) entries 65 to 86 are not applicable to the State of Jammu and Kashmir;

(c) after entry 86, insert the following entry, namely:—

"87. The Representation of the People Act, 1951 (Central Act 43 of 1951), the Representation of the People (Amendment) Act, 1974 (Central Act 58 of 1974) and the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (Central Act 40 of 1975).";

(d) after entry 91, insert the following entry, namely:—

"92. The maintenance of Internal Security Act, 1971 (Central Act 26 of 1971).";

(e) after entry 129, insert the following entry, namely :—

"130. The Prevention of Publication of Objectionable Matter Act, 1976 (Central Act 27 of 1976).";

(f) after insertion of the entries 87, 92 and 130 as indicated above, renumber entries 87 to 188 as entries 65 to 166 respectively.

(29) TENTH SCHEDULE.—

(a) for the brackets, words and figures "[Articles 102(2) and 191(2)]", the brackets, word and figures "[Article 102(2)]" shall be substituted;

(ख) पैरा 1 के खंड (क) में, "या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान-मंडल का कोई सदन" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) पैरा 2 में,--

(i) उपपैरा 1 में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 99" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपपैरा (3) में, "यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुच्छेद 99" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) उपपैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1989 के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ;

(घ) पैरा 5 में, "अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) पैरा 6 के उपपैरा (2) में, "यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(च) पैरा 8 के उपपैरा (3) में, " यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194" शब्दों और अंकों के स्थान पर, " अनुच्छेद 105" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(b) in clause (*a*) of paragraph 1, the words "or the Legislative Assembly or, as the case may be, either House of the Legislature of a State" shall be omitted;

(*c*) in paragraph 2,—

(i) in sub-paragraph (1), in sub-clause (ii) of clause (*b*) of the *Explanation,* the words and figures "or, as the case may be, article 188" shall be omitted;

(ii) in sub-paragraph (3), the words and figures "or, as the case may be, article 188" shall be omitted;

(iii) in sub-paragraph (4), the reference to the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985 shall be construed as a reference to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1989;

(d) in paragraph 5, the words "or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State" shall be omitted;

(e) in sub-paragraph (*2*) of paragraph 6, the words and figures "or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212" shall be omitted;

(f) in sub-paragraph (*3*) of paragraph 8, the words and figures "or, as the case may be, article 194," shall be omitted.